

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
जनपद बागेश्वर में सुगम/दुर्गम क्षेत्रों का निर्धारण

क्र० सं०	राजकीय खाद्यान्न भण्डार	रेलशीर्ष हल्लानी से दूरी	जनपद मुख्यालय से दूरी	बिजली	पानी	नेटवर्क	सुगम/दुर्गम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राजकीय खाद्यान्न भण्डार बागेश्वर	180 किमी०	03 किमी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	सुगम
2.	राजकीय खाद्यान्न भण्डार गरुड	158 किमी०	25 किमी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	सुगम
3.	राजकीय खाद्यान्न भण्डार काण्डा	206 किमी०	25 किमी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	सुगम
4.	राजकीय खाद्यान्न भण्डार भराडी	205 किमी०	25 किमी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	सुगम
5.	राजकीय खाद्यान्न भण्डार हरसीला	195 किमी०	15 किमी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	सुगम
6.	राजकीय खाद्यान्न भण्डार सामा	223 किमी०	43 किमी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	दुर्गम
7.	राजकीय खाद्यान्न भण्डार लीती	230 किमी०	50 किमी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	दुर्गम
8.	राजकीय खाद्यान्न भण्डार मल्खाडुगर्चा	252 किमी०	72 किमी०	उपलब्ध	उपलब्ध	नहीं	दुर्गम
9.	राजकीय खाद्यान्न भण्डार कर्मी	230 किमी०	50 किमी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	दुर्गम
10.	राजकीय खाद्यान्न भण्डार उगिया	245 किमी०	65 किमी०	उपलब्ध	उपलब्ध	नहीं	दुर्गम
11.	राजकीय खाद्यान्न भण्डार लोहारखेत	230 किमी०	50 किमी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	दुर्गम
12.	राजकीय खाद्यान्न भण्डार खाती	260 किमी०	80 किमी०	नहीं	उपलब्ध	नहीं	दुर्गम
13.	राजकीय खाद्यान्न भण्डार तलाई	232 किमी०	52 किमी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	दुर्गम
14.	राजकीय खाद्यान्न भण्डार बाछम	250 किमी०	70 किमी०	नहीं	उपलब्ध	उपलब्ध	दुर्गम
15.	राजकीय खाद्यान्न भण्डार बदियाकोट	255 किमी०	75 किमी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	दुर्गम
16.	राजकीय खाद्यान्न भण्डार काफली	220 किमी०	42 किमी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	दुर्गम

एस.एस.एस.
जिला पूर्ति अधिकारी
बागेश्वर।

[Signature]
अधिशारी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

[Signature]
अधिशारी अभियन्ता
विद्युत विभाग

[Signature]
अधिशारी अभियन्ता
जल संरक्षण

[Signature]
उपभोक्ता अधिकारी
बागेश्वर

[Signature]
मुख्य विकास अधिकारी
बागेश्वर।

[Signature]
मुख्य विकास अधिकारी
बागेश्वर।

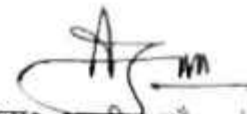
[Signature]
जिला बागेश्वर।
25/03/18

आदेश

संयुक्त आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 2885/ आ0खा0/2018 दिनांक 28 मार्च 2018 के अनुक्रम में शासन के पत्र संख्या 188/18-XIX-1/15 खाद्य/2018 दिनांक 19-02-2018 व मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 30/XXX-2/2018-30(30)105/2007 दिनांक 06-02-2018 के परिप्रेक्ष्य में अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण 2018-19 के अनुसार सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखण्ड, जनपद उत्तरकाशी हेतु जनपद स्तर पर अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में निम्न समिति गठित की जाती है।

- | | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| 1. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी | - | सदस्य |
| 2. उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी, उत्तरकाशी | - | सदस्य |
| 3. जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी | - | सदस्य/सचिव |

उक्त समिति खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखण्ड, उत्तरकाशी के अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण 2018-19 हेतु सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण करते हुए सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु सन्तुति करेगी।

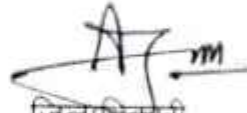

(डा० आशीष चौहान)
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

॥ कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी ॥

पत्रांक 1306/ 40-अधि0/स्था0नीति/2018-19 दिनांक 31 मार्च 2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपरोक्त अधिकारियों को अनुपालनार्थ।
2. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

**खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
जनपद उत्तरकाशी में सुगम/दुर्गम क्षेत्रों का निर्धारण**

क्र.सं.	बेस डिपो/ राजकीय खाद्यान्न भण्डार	जनपद मुख्यालय से दूरी	बिजली	पानी	नेटवर्क	विकित्तालय	मानकानुसार क्षेत्र / कार्य स्थल का चिन्हीकरण	विवरण
1	बेस डिपो कृषिकेंद्र	176 कि०मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	सुगम	
2	बेस डिपो विकास नगर	190 कि०मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	सुगम	
3	राजकीय खाद्यान्न भण्डार ज्ञानसू	01 कि०मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	सुगम	
4	राजकीय खाद्यान्न भण्डार नैताला	09 कि०मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	सुगम	
5	राजकीय खाद्यान्न भण्डार भटवाडी	30 कि०मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	सुगम	
6	राजकीय खाद्यान्न भण्डार झाला	71 कि०मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	-	दुर्गम क्षेत्र 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है।
7	राजकीय खाद्यान्न भण्डार घान्तरी	35 कि०मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	सुगम	
8	राजकीय खाद्यान्न भण्डार चिन्वालीसोड	33 कि०मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	सुगम	
9	राजकीय खाद्यान्न भण्डार बघाणगाव	43 कि०मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	सुगम	
10	राजकीय खाद्यान्न भण्डार बनचीरा	45 कि०मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	सुगम	
11	राजकीय खाद्यान्न भण्डार बड़कोट	90 कि०मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	सुगम	
12	राजकीय खाद्यान्न भण्डार डामटा	130 कि०मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	सुगम	
13	राजकीय खाद्यान्न भण्डार पुरोला	121 कि०मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	सुगम	
14	राजकीय खाद्यान्न भण्डार नैटवाड	165 कि०मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	-	दुर्गम क्षेत्र के 60% से अधिक गांव पक्के मोटरमार्ग से 2 कि०मी० से अधिक पैदल दूरी पर है।
15	राजकीय खाद्यान्न भण्डार दोणी	187 कि०मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	-	दुर्गम क्षेत्र के 60% से अधिक गांव पक्के मोटरमार्ग से 2 कि०मी० से अधिक पैदल दूरी पर है।
16	राजकीय खाद्यान्न भण्डार जखोल	205 कि०मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	-	दुर्गम क्षेत्र के 60% से अधिक गांव पक्के मोटरमार्ग से 2 कि०मी० से अधिक पैदल दूरी पर है।
17	राजकीय खाद्यान्न भण्डार तालुका	198 कि०मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	-	दुर्गम क्षेत्र के 60% से अधिक गांव पक्के मोटरमार्ग से 2 कि०मी० से अधिक पैदल दूरी पर है।
18	राजकीय खाद्यान्न भण्डार आराकोट	210 कि०मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	-	दुर्गम क्षेत्र के 60% से अधिक गांव पक्के मोटरमार्ग से 2 कि०मी० से अधिक पैदल दूरी पर है।

जिला सूति अधिकारी
उत्तरकाशी

उप जिलाधिकारी (भटवाडी)
उत्तरकाशी

अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

पहलापुन।

प्रेषक,

जिला पूर्ति अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक 37

/40-29/2018-19

दिनांक: नई टिहरी, 13 अप्रैल, 2018.

विषय

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017(संख्या-1वर्ष 2018) के अनुपालन में सुगम/दुर्गम कार्यस्थलों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06.02.2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017(संख्या-1वर्ष 2018) व अनुपालन में सुगम/दुर्गम कार्यस्थलों के निर्धारण किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उक्त व क्रम में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा इस अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्य स्थलों को सुगम/दुर्गम में कोटीकरण किया गया है, जिसका विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न

यथोक्त।

भवदीय

जिला पूर्ति अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

जिलाधिकारी,
महोदया

कृपया नीचे प्रो. संख्या-04 पर महोदया के अनुमोदन आवेदन दिनांक 04.04.2018 को अवलोकन करने का कार्य करें, जिसके द्वारा जिला पूर्ति कार्यालय में लोक सेवाओं के लिए दैनिक सहायता-अभियोग-2017 के अनुपालन में विभागीय कार्यालय/सोपनों के कोटेशन किए जाने से संबंध में समिति का गठन किया गया है। उक्त के काम में जिला पूर्ति कार्यालय के जनसंपर्क कार्यालय/सोपनों का कोटेशन, सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-339/2019-सदस्यता दिनांक 31/01/2018 दिनांक 19.03.2018 (प्रस्ताव 'क') को आधार मानते हुए समुचित और तयार शुल्क/दुर्गम क्षेत्र नियम निम्नानुसार है-

क्र.सं.	सेवा का नाम	कार्यभार को देना है
1	जनसंपर्क सुलभास्य	शुल्क
2	नई दिहरी	शुल्क
3	सम्भा	शुल्क
4	वीरहवीणा	शुल्क
5	जोतिनगर	शुल्क
6	देवप्रसाद	शुल्क
7	बेस गोदाग बीनगर	शुल्क
8	बेस गोदाग कथिकेश	शुल्क
9	बेस गोदाग टिकारनागर	शुल्क
10	बेस गोदाग देहदादुन	शुल्क
11	गुरुर	शुल्क
12	डीमडी	शुल्क
13	नरैन्द्रनगर	शुल्क
14	नैनकाग	शुल्क
15	सज्जा	शुल्क
16	छाम	शुल्क
17	बारकोट	शुल्क
18	आमझावात	शुल्क
19	लम्बगांव	शुल्क
20	ओनालगाव	शुल्क
21	गैतलाखात	शुल्क
22	धनसाली	शुल्क
23	छोपड़वार	शुल्क
24	धमिखला	शुल्क
25	सुपहरीगाड	शुल्क
26	मण्डार	शुल्क
27	हुलाणाखाल	शुल्क
28	धरालोली	शुल्क
29	वीली	शुल्क
30	जामनीखाल	शुल्क
31	धरगुड	शुल्क
32	सगात	शुल्क
33	मरोहापुल	शुल्क

अतः महोदया यदि सहमत हो तो उपरोक्तानुसार शुल्क/दुर्गम निर्धारण बरताने को अनुमोदित करना चाहें।

(दिनेश लाल गुप्ता)
जिला पूर्ति अधिकारी,
सदस्य।

(वतार सिंह चौहान)
उपजिलाधिकारी(सदर)
सदस्य।

As proposed

जिला पूर्ति कार्यालय, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कार्यस्थलों का सुगम/दुर्गम स्थानों का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	सुगम/दुर्गम
1	जनपद मुख्यालय	सुगम
2	नई टिहरी	सुगम
3	धम्बा	सुगम
4	श्रीवसुबीघा	सुगम
5	जीर्तिनगर	सुगम
6	देवप्रयाग	सुगम
7	बेस गोदाम श्रीनगर	सुगम
8	बेस गोदाम ऋषिकेश	सुगम
9	बेस गोदाम विकासनगर	सुगम
10	बेस गोदाम देहरादून	सुगम
11	गूलर	सुगम
12	जैमटी	सुगम
13	नरेन्द्रनगर	सुगम
14	नैनबाग	सुगम
15	गजा	दुर्गम
16	छाम	दुर्गम
17	घारकोट	दुर्गम
18	काण्डाखाल	दुर्गम
19	लम्बगांव	दुर्गम
20	ओनालगांव	दुर्गम
21	भैतलाखाल	दुर्गम
22	घनसाली	दुर्गम
23	घोपडघार	दुर्गम
24	चमियाला	दुर्गम
25	सुनहरीगाढ़	दुर्गम
26	मन्दार	दुर्गम
27	हुलाणाखाल	दुर्गम
28	घमातोली	दुर्गम
29	चौकी	दुर्गम
30	जामणीखाल	दुर्गम
31	थत्पूड	दुर्गम
32	भवान	दुर्गम
33	मरोडापुल	दुर्गम

जिला पूर्ति अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

आयुक्त,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : - 1388/जि०पू०अधि०/40-अधि०/स्था०निति/2018, दिनांक - 30 मार्च, 2018

विषय : स्थानान्तरण नीति 2017 के अनुपालन में सुगम एवं दुर्गम स्थानों के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि स्थानान्तरण नीति 2017 के क्रम में तहसील/ब्लाक स्तर पर सुगम/दुर्गम स्थानों के निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त हेतु शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या : 359 दिनांक : 19.03.2018 के निर्धारित मानकों को उचित पाये जाने के कारण मानकों के अनुरूप जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा सुगम/दुर्गम कार्यस्थलों का आंकलन किया जाए। जिसमें कुल गुणोंक 0 से 32 तक को दुर्गम तथा कुल गुणोंक 33 से अधिक को सुगम निर्धारित किया गया है। अधिकतम 71 अंक का मानक निर्धारित है।

अतः जिला पूर्ति अधिकारी पिथौरागढ़ के अधिष्ठान के अन्तर्गत तहसील/ब्लाक स्तर के कार्यालयों में तैनात कार्मिकों स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण नीति 2017 के अनुपालन में सुगम/दुर्गम कार्य स्थलों का जिला स्तर से गठित समिति के माध्यम से निर्धारण करवाकर सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कुल निर्धारित सुगम स्थल -13.

कुल निर्धारित दुर्गम स्थल -13.

संलग्नक-यथोपरी।

भवदीय


(सी०ए०विशंकर)

जिलाधिकारी,

पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि- प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।


(सी०ए०विशंकर)

जिलाधिकारी,

पिथौरागढ़।

(कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है)

विभाग का नाम :- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (जिला पूर्ति कार्यालय, पिथौरागढ़)

जनपद पिथौरागढ़।

पद नाम :- पूर्ति निरीक्षक/सहायक खाद्यान्न निरीक्षक/केन्द्र प्रभारी/आशु लिपिक/लिपिक/अनुसेवक/अर्दली/चीकीदार।

क0 सं0	विकास खण्ड का नाम	औद्योगिक केन्द्र का नाम/कार्यालय का नाम	कार्य स्थल की पैदल दूरी	सड़क मार्ग की सुविधा	चिकित्सा सुविधा	बैंक/पोस्ट ऑफिस सुविधा	शिक्षा सुविधा	बाजार की सुविधा	सामान्य जन सुविधा	समुद्र तल से ऊँचाई	रेलवे स्टेशन से दूरी	योग	प्रस्तावित सुगम / दुर्गम	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	विण	जिला पूर्ति कार्यालय, पिथौरागढ़	8	8	5	5	5	7	5	4	3	50	सुगम	
		बेस गोदाम, ऐंचोली	8	8	5	5	5	7	5	4	3	50	सुगम	
		रा0खा0 भण्डार, पिथौरागढ़	8	8	5	5	5	7	5	4	3	50	सुगम	
		रा0खा0 भण्डार, गुरना	7	6	2	1	5	5	4	4	4	38	सुगम	
2	मूनाकोट	रा0खा0 भण्डार, मूनाकोट	7	5	4	3	5	4	4	4	3	39	सुगम	
3	गंगोलीहाट	रा0खा0 भण्डार, गंगोलीहाट	7	6	3	5	5	6	5	4	2	43	सुगम	
		रा0खा0 भण्डार, गणार्ई-गंगोली	7	5	3	2	4	2	4	8	2	37	सुगम	
4	बेरीनाग	रा0खा0 भण्डार, बेरीनाग	7	6	3	4	5	5	4	4	2	40	सुगम	
		रा0खा0 भण्डार, थल	7	5	1	3	3	2	4	8	1	34	सुगम	
5	कनालीछीना	रा0खा0 भण्डार, बुंगाछीना	7	6	2	4	2	4	4	8	2	39	सुगम	
		रा0खा0 भण्डार, कनालीछीना	7	6	4	4	2	4	4	4	2	37	सुगम	
		रा0खा0 भण्डार, अस्कौट	7	6	2	1	3	3	4	6	2	34	सुगम	
6	डीडीहाट	रा0खा0 भण्डार, डीडीहाट	7	5	3	5	5	6	5	4	1	41	सुगम	

वरिष्ठ सहायक,
जिला पूर्ति कार्यालय,
पिथौरागढ़।

जिला पूर्ति अधिकारी,
पिथौरागढ़।

अधिशोषी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
पिथौरागढ़।

अपर जिला अधिकारी,
पिथौरागढ़।

जिला अधिकारी,
पिथौरागढ़।

(2)

(कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है)

विभाग का नाम :- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (जिला पूर्ति कार्यालय, पिथौरागढ़)

जनपद पिथौरागढ़।

पद नाम :- पूर्ति निरीक्षक/सहायक खाद्यान्न निरीक्षक/केन्द्र प्रभारी/आशु लिपिक/लिपिक/अनुसेवक/अर्दली/चौकीदार।

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	औद्योगिक केन्द्र का नाम/कार्यालय का नाम	कार्य स्थल की पैदल	सड़क मार्ग की सुविधा	चिकित्सा सुविधा	बैंक/पोस्ट ऑफिस सुविधा	शिक्षा सुविधा	बाजार की सुविधा	सामान्य जन सुविधा	समुद्र तल से ऊँचाई	रेलवे स्टेशन से दूरी	योग	प्रस्तावित सुगम / दुर्गम	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	मुनस्यारी	रा०खा० भण्डार, मदकोट	7	5	3	2	2	3	1	8	1	32	दुर्गम	
		रा०खा० भण्डार, मुनस्यारी												
		रा०खा० भण्डार, उछैती					7000 फीट से ऊपर दुर्गम							
		रा०खा० भण्डार, बुर्फू					7000 फीट से ऊपर दुर्गम							
		रा०खा० भण्डार, तेजम	6	5	3	2	2	1	4	8	1	32	दुर्गम	
		रा०खा० भण्डार, होकरा												
		रा०खा० भण्डार, नामिक					7000 फीट से ऊपर दुर्गम							
8	धारचूला	रा०खा० भण्डार, धारचूला	8	6	4	5	4	7	5	8	1	48	सुगम	
		रा०खा० भण्डार, तवाघाट	7	5	0	0	1	0	1	2	0	16	दुर्गम	
		रा०खा० भण्डार, पोंगला	7	5	0	0	1	1	1	2	0	17	दुर्गम	
		रा०खा० भण्डार, पांगू					7000 फीट से ऊपर दुर्गम							
		रा०खा० भण्डार, दुग्गू					7000 फीट से ऊपर दुर्गम							
		रा०खा० भण्डार, सिर्दांग					7000 फीट से ऊपर दुर्गम							
		रा०खा० भण्डार, गुंजी					7000 फीट से ऊपर दुर्गम							

वरिष्ठ सहायक,
जिला पूर्ति कार्यालय,
पिथौरागढ़।

जिला पूर्ति अधिकारी,
पिथौरागढ़।

अध्यापक अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
पिथौरागढ़।

अपर जिला अधिकारी,
पिथौरागढ़।

जिला अधिकारी,
पिथौरागढ़।

(02)

(कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है)

विभाग का नाम - खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (जिला पूर्ति कार्यालय)

पद नाम - पूर्ति निरीक्षक/सहायक खाद्यान्न निरीक्षक/केन्द्रीय प्रभारी/आशु लिपिक/लिपिक/अनुसूचक/अर्द्धक/चौकीदार।

जनपद- पिथौरागढ़।

विकास खण्ड का नाम	औद्योगिक केन्द्र का नाम/कार्यालय का नाम	कार्यस्थल की पैदल दूरी	सड़क मार्ग की सुविधा	चिकित्सा सुविधा	बैंक/पोस्ट ऑफिस सुविधा	शिक्षा सुविधा	बाजार की सुविधा	सामान्य जन सुविधा	समुद्र तल से ऊँचाई	रेलवे स्टेशन से दूरी	योग	प्रस्तावित सुगम/ दुर्गम	अनुमोदित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	मुनस्यारी	रा0खा0भण्डार, मदकोट	0 से 01 किमी की परिधि	0 से 3 किमी की परिधि डामरीकृत मोटर मार्ग	02 सरकारी चिकित्सालय	10 किमी परिधि	25 किमी परिधि	40 किमी परिधि	3 किमी परिधि/ पक्का भवन/ विद्युत सुविधा	3002 से 4003 फीट	221 से 280 किमी की परिधि	32	दुर्गम	
	रा0खा0भण्डार, मुनस्यारी	समुद्र तल से 7000 फीट से ऊपर दुर्गम										दुर्गम		
	रा0खा0भण्डार, उछेरी	समुद्र तल से 7000 फीट से ऊपर दुर्गम												
	रा0खा0भण्डार, बुर्छू	समुद्र तल से 7000 फीट से ऊपर दुर्गम										दुर्गम		
	रा0खा0भण्डार, तेजम	01 से 02 किमी परिधि	0 से 3 किमी की परिधि डामरीकृत मोटर मार्ग	02 सरकारी चिकित्सालय	10 किमी परिधि	मध्यमिक शिक्षा	2 किमी परिधि में 5 दुकान की सुविधा	01 किमी परिधि में पानी/ बिजली/ सरकारी आवास की सुविधा	3002 से 4003 फीट	211 से 280 किमी परिधि	32	दुर्गम		
	रा0खा0भण्डार, होकरा	समुद्र तल से 7000 फीट से ऊपर दुर्गम												
	रा0खा0भण्डार, नामिक	समुद्र तल से 7000 फीट से ऊपर दुर्गम										दुर्गम		
8	धारचूला	रा0खा0भण्डार, धारचूला	नगर पालिका क्षेत्र	राष्ट्रीय राज मार्ग सुविधा (0 से 03 किमी की परिधि)	10 किमी रीमा अन्तर्गत	नगर पालिका क्षेत्र	25 किमी परिधि	नगर पालिका क्षेत्र	नगर पालिका क्षेत्र	3002 से 4003 फीट	211 से 280 किमी परिधि	48	सुगम	
	रा0खा0भण्डार, तवाघाट	0 से 01 किमी की परिधि	0 से 3 किमी की परिधि डामरीकृत मोटर मार्ग	30 किमी की परिधि	20 किमी से अधिक की परिधि	10 किमी की परिधि में 1 मा0 विद्यालय	2 किमी से अधिक की दूरी में दुकान की सुविधा	3 किमी परिधि/ पक्का भवन/ विद्युत सुविधा	6004 से 7000 फीट	280 किमी से अधिक की दूरी	16	दुर्गम		
	रा0खा0भण्डार, पाँगला	0 से 01 किमी की परिधि	0 से 3 किमी की परिधि डामरीकृत मोटर मार्ग	30 किमी की परिधि	20 किमी से अधिक की परिधि	10 किमी की परिधि में 1 मा0 विद्यालय	2 किमी परिधि में 5 दुकान की सुविधा	3 किमी परिधि/ पक्का भवन/ विद्युत सुविधा	6004 से 7000 फीट	280 किमी से अधिक की दूरी	17	दुर्गम		
	रा0खा0भण्डार, पाँगू	समुद्र तल से 7000 फीट से ऊपर दुर्गम												
	रा0खा0भण्डार, दुग्गु	समुद्र तल से 7000 फीट से ऊपर दुर्गम												
	रा0खा0भण्डार, सिदांग	समुद्र तल से 7000 फीट से ऊपर दुर्गम												
	रा0खा0भण्डार, गुजी	समुद्र तल से 7000 फीट से ऊपर दुर्गम												
												दुर्गम		
												दुर्गम		
												दुर्गम		
												दुर्गम		

वरिष्ठ सहायक
जिला प्रति कार्यालय

जिला प्रति अधिकारी

वरिष्ठ सहायक,
जिला पूर्ति कार्यालय,
पिथौरागढ़।जिला पूर्ति अधिकारी,
पिथौरागढ़।अधिसूता अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग

अपर जिला अधिकारी,

जिला अधिकारी,

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2018, दिनांक 06-02-2018 के कम में सुगम एवं दुर्गम स्थलों के चिन्हीकरण और उनका प्रकटीकरण हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुरूप स्थानान्तरण हेतु जनपद के कार्य क्षेत्रों का सुगम/दुर्गम के रूप निर्धारण किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित कमेटी की बैठक का कार्यवृत्त:-

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत आन्तरिक गोदामों एवं पूर्ति निरीक्षक कार्यवृत्तों के आधार पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के 5 पद एवं पूर्ति निरीक्षकों के 12 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष जनपद में एक क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा 12 पूर्ति निरीक्षक कार्यरत हैं। अतः उपरोक्त कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु उनके कार्यस्थल में अवस्थित आधारभूत सुविधाओं एवं पहुंच के आधार पर निम्नानुसार सुगम तथा दुर्गम का निर्धारण किया जाता है:-

क्रम	आन्तरित गोदाम / कार्यवृत्त का नाम	रेलशीर्ष से दूरी	मुख्यालय से दूरी	सुगम/दुर्गम
1	राजकीय खाद्यान्न गोदाम ओखलाकाण्डा।	75 कि०मी०	70 कि०मी०	दुर्गम
2	राजकीय खाद्यान्न गोदाम, सरना	45 कि०मी०	40 कि०मी०	दुर्गम
3	राजकीय खाद्यान्न गोदाम, महरागांव	30 कि०मी०	25 कि०मी०	सुगम
4	राजकीय खाद्यान्न गोदाम, मझेड़ा	50 कि०मी०	30 कि०मी०	दुर्गम
5	राजकीय खाद्यान्न गोदाम, बेतालघाट	75 कि०मी०	65 कि०मी०	दुर्गम
6	राजकीय खाद्यान्न गोदाम, कोटाबाग	25 कि०मी०	50 कि०मी०	दुर्गम
7	पूर्ति निरीक्षक हल्द्वानी ग्रामीण	0 कि०मी०	40 कि०मी०	सुगम
8	पूर्ति निरीक्षक लालकुआ	15 कि०मी०	55 कि०मी०	सुगम
9	पूर्ति निरीक्षक हल्द्वानी(शहर) वृत्त 1 से 3	0 कि०मी०	40 कि०मी०	सुगम
10	पूर्ति निरीक्षक रामनगर(शहर)	0 कि०मी०	70 कि०मी०	सुगम
11	पूर्ति निरीक्षक रामनगर(ग्रामीण)	0 कि०मी०	70 कि०मी०	सुगम
12	पूर्ति निरीक्षक रामगढ़	50 कि०मी०	25 कि०मी०	दुर्गम
13	पूर्ति निरीक्षक भीमताल	25 कि०मी०	25 कि०मी०	सुगम
14	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी हल्द्वानी	0 कि०मी०	40 कि०मी०	सुगम
15	पूर्ति निरीक्षक मुख्यालय नैनीताल	40 कि०मी०	0 कि०मी०	सुगम

अतः उपरोक्तानुसार विभाग के अन्तर्गत कार्यस्थलों के सुगम/दुर्गम का निर्धारण किये जाने की संस्तुति की जाती है।

जिला पूर्ति अधिकारी
नैनीताल।

जिला पंचायत राज अधिकारी
नैनीताल।

अपर जिलाधिकारी
(प्रशासन)
नैनीताल।

31.03/18

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1 को अंश) की धारा-04 और 05 के अन्तर्गत कार्मिक की पद स्थापना के लिए पद वर्गीकरण करने तथा विभागीय कार्य क्षेत्रों के अनुरूप सुगम एवं दुर्गम स्थलों को भिन्नित और प्रकटीकरण किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 33/XXX-2/2018-30(13)2017 कार्मिक अनुभाग-2, देहरादून, दिनांक 06 फरवरी 2018 को बिम्ब सं 02 के उपबिन्दु 02 में उचित प्रत्येक विभाग में जिला स्तर से ग्राम स्तर तक की जान वाली योजना के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विभाग की आवश्यकता के अनुरूप सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का विनिर्माण मानकों के अनुसार किये जाने के दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 04-04-2018 की बैठक में की गयी सन्तुष्टि के आधार पर जनपद हरिद्वार के जनपद मुख्यालय/तहसील मुख्यालय/विभाग स्वयं एवं जनपद के अन्य समस्त क्षेत्रों को परिशिष्ट-1, धारा 03 के खण्ड (अ) के अन्तर्गत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभागान्तर्गत जिला पूर्ति कार्यालय हरिद्वार के समस्त कार्मिकों की योजना एवं एतद द्वारा सुगम घोषित किया जाता है।

- ६० -

(दीपक शर्मा)

I.A.S.

जिलाधिकारी

हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार

पत्रांक 12

प्रतिलिपि

01-

02-

03-

/जि0पू0अ0-स्था0/2018

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

समस्त अधिकारी/कर्मचारी जिला पूर्ति कार्यालय हरिद्वार।

संयुक्त आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।

आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।

दिनांक: 04/04/2018

(गणेश शर्मा)
उपसूक्त/

जिला पूर्ति अधिकारी,

हरिद्वार।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवामें,

✓ आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 1974 / जि०पू०अ०-अधि०(स्था०नीति) / 2018-19

दिनांक 10 अप्रैल, 2018।

विषय- स्थानान्तरण नीति-2017 के अनुपालन में कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून के अधिष्ठान हेतु सुगम एवं दुर्गम स्थानों के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्थानान्तरण नीति 2017 के क्रम में सुगम एवं दुर्गम स्थानों के चयन हेतु शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 359/XXIV-नवसृजित/2018-31(01)/2018 दिनांक 19 मार्च, 2018 के निर्धारित मानकों को उचित पाये जाने के फलस्वरूप मानकों के अनुरूप कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून के अधिष्ठान हेतु सुगम एवं दुर्गम कार्यस्थलों का आंकलन किया गया। जिसमें कुल गुणांक 0 से 32 या समुद्र तल से 7000 फीट के ऊंचाई वाले स्थलों को दुर्गम तथा कुल गुणांक 32 से अधिक गुणांक वाले स्थलों को कार्यस्थलों को सुगम निर्धारित किया गया है। अधिकतम 71 अंक निर्धारित है।

अतः कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून अधिष्ठान के अन्तर्गत जनपद मुख्यालय, तहसील, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र स्तर के कार्यस्थलों में तैनात कर्मिकों का स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण नीति-2017 के अनुपालन में कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून के अधिष्ठान हेतु सुगम एवं दुर्गम स्थानों का चयन कर सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एस०एस० मुरुगेशन)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपि- प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
देहरादून।

विभाग/कार्यालय का नाम- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड (कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून)

पद नाम- क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक/सहायक खाद्यान्न निरीक्षक/आशु लिपिक/लिपिक/अनुसेवक/अर्दली/चौकीदार।

(कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है)

क्र.सं.	वि.स.खण्ड का नाम	कार्यालय का नाम/परिक्षेत्र का नाम/केन्द्र का नाम	कार्य स्थल की पैदल दूरी	सड़क मार्ग की सुविधा	चिकित्सा सुविधा	वैक पोस्ट ऑफिस की सुविधा	शिक्षा की सुविधा	बाजार की सुविधा	सामान्य जन सुविधा	समुद्र तल से उचाई	रेलवे स्टेशन से दूरी	योग	प्रस्तावित सुगम/दुर्गम
1	शहरी क्षेत्र	जिला पूर्ति कार्यालय	10	10	6	5	5	8	6	12	9	71	सुगम
		धर्मपुर परिक्षेत्र	10	10	6	5	5	8	6	12	9	71	सुगम
		परिसीमन परिक्षेत्र	10	10	6	5	5	8	6	12	9	71	सुगम
		कनाटप्लेस	10	10	6	5	5	8	6	12	9	71	सुगम
		खुडबुडा	10	10	6	5	5	8	6	12	9	71	सुगम
		डालनवाला	10	10	6	5	5	8	6	12	9	71	सुगम
		क्लेमनटाउन	10	10	6	5	5	8	6	12	9	71	सुगम
		प्रेमनगर	10	10	6	5	5	8	6	12	9	71	सुगम
2	रायपुर	रायपुर	9	9	5	4	4	5	4	10	8	58	सुगम
3	शहरी क्षेत्र	मसूरी	9	9	5	4	4	5	4	7	9	56	सुगम
4	डोईवाला	पूर्ति निरीक्षक कार्यालय डोईवाला	9	9	5	4	4	5	4	10	8	58	सुगम
		पूर्ति निरीक्षक कार्यालय श्यामपुर	9	9	5	4	4	5	4	10	8	58	सुगम
5	शहरी क्षेत्र	पूर्ति निरीक्षक कार्यालय, ऋषिकेश	9	9	5	4	4	5	4	10	8	58	सुगम
6	सहसपुर	पूर्ति निरीक्षक कार्यालय सहसपुर	9	9	5	4	4	5	4	10	6	56	सुगम
7	विकासनगर	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, विकासनगर	9	9	4	4	4	4	4	9	6	53	सुगम
8	कालसी	राजकीय अन्न भण्डार, कालसी	7	7	3	3	3	3	3	6	5	40	सुगम
		राजकीय अन्न भण्डार कौरवा	समुद्र तल से 7000 फीट से ऊपर										दुर्गम
9	चकराता	राजकीय अन्न भण्डार चकराता	समुद्र तल से 7000 फीट से ऊपर										दुर्गम
		राजकीय अन्न भण्डार, लाखामण्डल	समुद्र तल से 7000 फीट से ऊपर										दुर्गम
		राजकीय अन्न भण्डार, त्यूणी	समुद्र तल से 7000 फीट से ऊपर										दुर्गम
		राजकीय अन्न भण्डार, अटाल	समुद्र तल से 7000 फीट से ऊपर										दुर्गम
		राजकीय अन्न भण्डार, सावडा	समुद्र तल से 7000 फीट से ऊपर										दुर्गम

(प्रवेश कुमार)
लिपिक

(मधु मिर्जाल)
पूर्ति निरीक्षक/वरिष्ठ सहायक

(कमला रावत)
पूर्ति निरीक्षक/लेखा प्रभारी

(किशोरी लाल)
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी (म०)

(विपिन कुमार)
जिला पूर्ति अधिकारी
देहरादून

(एस० ए० मुरुगेशन)
जिलाधिकारी
देहरादून।

प्रेषक,

पत्र संख्या 06 /जिपूअ/अधि

जिला पूर्ति अधिकारी,
चम्पावत।

सेवा में

संयुक्त आयुक्त,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक : चम्पावत अप्रैल 03, 2018

विषय :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में विभिन्न विभागों के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश।

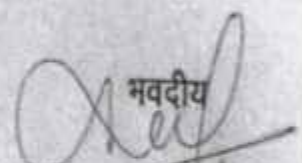
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-2885/आ0खा0/2018 दिनांक 28 मार्च 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के द्वारा मुख्य सचिव महोदय उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या-30 दिनांक 06.02.2018 की प्रति उपलब्ध कराते हुये उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के आलोक में जिला पूर्ति अधिकारी अधिष्ठान, चम्पावत में कार्यरत कार्मिकों के जनपद के अन्दर स्थानान्तरण किये जाने हेतु सुगम एवं दुर्गम कार्यस्थलों के चयन के लिये जिलाधिकारी महोदय चम्पावत के आदेश संख्या-995 दिनांक 27 मार्च 2018 के द्वारा एक स्थानान्तरण समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा दिनांक 28.03.2018 को बैठक आयोजित कर सुगम एवं दुर्गम कार्यस्थलों को चिन्हित किया गया है, जिसे जिलाधिकारी महोदय चम्पावत द्वारा स्वीकृत किया गया है।

अतः उक्त बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-यथोपरि।



भवदीय
जिला पूर्ति अधिकारी,
चम्पावत।

01/04/18

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्रावधानों के तहत जिला पूर्ति अधिकारी अधिष्ठान, चम्पावत में कार्यरत कर्मिकों के जनपद के अन्दर वार्षिक स्थानान्तरण प्रक्रिया हेतु दुर्गम एवं सुगम कार्यस्थलों के निर्धारण हेतु बैठक का कार्यवृत्त :-

शासनादेश संख्या-30 दिनांक 06 फरवरी 2018 के द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुपालन में कर्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय चम्पावत के अनुज्ञा आदेश दिनांक 27.03.2018 के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी अधिष्ठान, चम्पावत में कार्यरत कर्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु सुगम एवं दुर्गम कार्यस्थलों के चयन हेतु आज दिनांक 28.03.2018 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी महोदय चम्पावत के आदेश संख्या-995 दिनांक 27.03.2018 के द्वारा गठित समिति के सदस्य जिला विकास अधिकारी, चम्पावत एवं जिला पूर्ति अधिकारी, चम्पावत ने भी बैठक में प्रतिभाग किया।

1- जिला पूर्ति अधिकारी, चम्पावत द्वारा अवगत कराया कि जनपद में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत जनपद मुख्यालय में जिला पूर्ति कार्यालय, चम्पावत स्थापित है तथा निम्नानुसार राजकीय खाद्यान्न भण्डार/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय स्थापित है :-

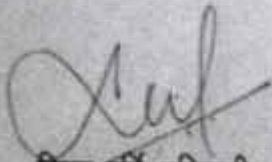
क्र.सं०	खाद्यान्न भण्डार का नाम	खाद्यान्न भण्डार में स्वीकृत पद	स्थान जहाँ गोदाम/कार्यालय स्थित है
1	राजकीय खाद्यान्न भण्डार चम्पावत	01 पूर्ति निरीक्षक, 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मिक	जूप शहरी क्षेत्र
2	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, लोहाघाट	01 पूर्ति निरीक्षक, 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मिक	छमनियों
3	बेस गोदाम टनकपुर	01 पूर्ति निरीक्षक, 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मिक	वार्ड नं०-06 शहरी क्षेत्र
4	तहसील टनकपुर	01 पूर्ति निरीक्षक	वार्ड नं०-04 शहरी क्षेत्र
5	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, धूनाघाट	01 पूर्ति निरीक्षक, 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मिक	धूनाघाट
6	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, मंच	01 पूर्ति निरीक्षक, 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मिक	मंच
7	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, तामली	01 पूर्ति निरीक्षक, 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मिक	सिमियाउरी
8	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, बाराकोट	01 पूर्ति निरीक्षक, 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मिक	ग्राम सभा बाराकोट

2- उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के तहत कर्मिकों के व स्थानान्तरण प्रक्रिया हेतु दुर्गम/सुगम कार्यस्थलों के चिन्हांकन के सम्बन्ध में स्थानों पर आधारभूत सुविधाओं अन्य सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुये विस्तृत चर्चा की गयी तथा निम्न प्रकार सुगम/दुर्गम कार्यस्थल लि किये गये :-

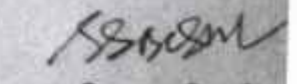


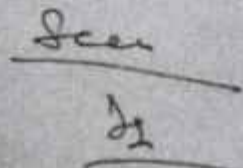
क्र०सं०	खाद्यान्न भण्डार का नाम	सुगम/दुर्गम
1	जिला पूर्ति कार्यालय, चम्पावत	सुगम
2	राजकीय खाद्यान्न भण्डार चम्पावत	सुगम
3	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, लोहाघाट	सुगम
4	बेस गोदाम टनकपुर	सुगम
5	तहसील टनकपुर	सुगम
6	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, धूनाघाट	दुर्गम
7	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, मंघ	दुर्गम
8	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, तानली	दुर्गम
9	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, बाराकोट	दुर्गम

अतः उक्तानुसार जिला पूर्ति अधिष्ठान, चम्पावत के विभिन्न कार्यस्थलों को सुगम तथा दुर्गम निर्धारित किये जाने की संस्तुति की जाती है।


जिला पूर्ति अधिकारी,
चम्पावत।


जिला विकास अधिकारी,
चम्पावत।


मुख्य विकास अधिकारी,
चम्पावत।


जिलाधिकारी
चम्पावत

प्रेषक,

जिला पूर्ति अधिकारी,
चमोली।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक: 74 / 13 जि0पू0अ0(विविध) 2017-18.

दिनांक : 15 अप्रैल 2018।

विषय :- जनपद चमोली में विभाग के अन्तर्गत कार्यरत गोदाम/बेस गोदाम के सुगम-दुर्गम निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक- 2017 सम्बन्धी अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 के अनुसार जनपद में अधीनस्थ कार्यालयों में दुर्गम-सुगम स्थान चयन हेतु जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग के प्रस्तावित मानकानुसार कलैक्ट्रेट के अधीन कार्यालय के कार्यस्थलों को सुगम दुर्गम हेतु चयन किया गया है। उक्त मानकों में स्थलों को 09 मानकों के आधार पर पूर्णक देते हुये चयनित किया गया है। जिन स्थलों का प्राप्तांक 30 अथवा 30 से कम है उन्हें दुर्गम श्रेणी में तथा 30 से अधिक प्राप्तांक वाले स्थलों को सुगम श्रेणी में रखने की व्यवस्था की गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित समिति द्वारा जिला पूर्ति कार्यालय के अधीन कार्यरत गोदामों/बेस गोदामों को उनके प्राप्तांक के आधार पर दुर्गम अथवा सुगम हेतु चयन किया गया है। अधिनियम एवं शासनादेशानुसार समस्त बिन्दुओं के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय के अधीन समस्त गोदाम/बेस गोदामों का सुगम/दुर्गम चिन्हीकरण एवं निर्धारण गठित समिति के अनुमोदन द्वारा किया गया।

अतः जनपद के अन्तर्गत गोदामों/बेस गोदामों का सुगम दुर्गम चिन्हीकरण की प्रतिलिपि महोदय की सेवा में प्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, चमोली को अवलोकनार्थ प्रेषित।

2. प्रभारी NIC चमोली।

भवदीय
जिला पूर्ति अधिकारी,
चमोली।

जिला पूर्ति अधिकारी
चमोली।

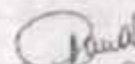
स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत जिला पूर्ति कार्यालय चमोली के क्षेत्र/मुख्यालयों का सुगम दुर्गम क्षेत्र का चिन्हिकरण
विभाग का नाम:-जिला पूर्ति कार्यालय, जनपद-चमोली।

क्र० स०	विकास खण्ड का नाम	कार्य मुख्यालय/ औद्योगिक इकाई का नाम	मोटर मार्ग से दूरी (कि०मी०)	समुद्र तल से उँचाई (मी० में)	सामान्य आधारभूत सुविधाओं का विवरण					नगर क्षेत्र/ ग्रामीण क्षेत्र	सुगम/ दुर्गम का चिन्हिकरण	अभ्युक्ति
					सड़क	बिजली	पानी	शिक्षा	चिकित्सा सुविधा			
1	जोशीमठ	रा०अ०म० मलारी	० किमी०	4500मी०	उपलब्ध	नहीं	उपलब्ध	नहीं	नहीं	ग्रामीण क्षेत्र	दुर्गम	कार्य क्षेत्र विकासखण्ड अन्तर्गत आच्छादित ग्रामी में
2		रा०अ०म० श्री बदीनाथ	० किमी०	3300मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	नहीं	उपलब्ध	नगर क्षेत्र	सुगम	
3		रा०अ०म० श्री जोशीमठ	० किमी०	1890मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	नगर क्षेत्र	सुगम	
4	दशोली	रा०अ०म० चमोली	० किमी०	1300मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	नगर क्षेत्र	सुगम	कार्य क्षेत्र विकासखण्ड अन्तर्गत आच्छादित ग्रामी में
5		रा०अ०म० सैजी	० किमी०	1360मी०	उपलब्ध	नहीं	उपलब्ध	उपलब्ध	नहीं	ग्रामीण क्षेत्र	दुर्गम	
6		रा०अ०म० नन्दप्रयाग	० किमी०	1358मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	नगर क्षेत्र	सुगम	
7	घाट	रा०अ०म० घाट	० किमी०	1380मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	ग्रामीण क्षेत्र	सुगम	कार्य क्षेत्र विकासखण्ड अन्तर्गत आच्छादित ग्रामी में
8	कर्णप्रयाग	रा०अ०म० कर्णप्रयाग	० किमी०	1451मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	नगर क्षेत्र	सुगम	कार्य क्षेत्र विकासखण्ड अन्तर्गत आच्छादित ग्रामी में
9		रा०अ०म० नौटी	० किमी०	1530मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	नहीं	ग्रामीण क्षेत्र	दुर्गम	
10	पोखरी	रा०अ०म० पोखरी	० किमी०	1660मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	नगर क्षेत्र	सुगम	कार्य क्षेत्र विकासखण्ड अन्तर्गत आच्छादित ग्रामी में
11	नारायणबगड	रा०अ०म० नारायणबगड	० किमी०	1340मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	ग्रामीण क्षेत्र	सुगम	कार्य क्षेत्र विकासखण्ड अन्तर्गत आच्छादित ग्रामी में
12	देवाल	रा०अ०म० देवाल	० किमी०	1400मी०	उपलब्ध	नहीं	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	ग्रामीण क्षेत्र	सुगम	कार्य क्षेत्र विकासखण्ड अन्तर्गत आच्छादित ग्रामी में
13	धराली	रा०अ०म० धराली	० किमी०	1358मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	ग्रामीण क्षेत्र	सुगम	
14	गैरसैण	रा०अ०म० आदिबट्टी	० किमी०	1380मी०	उपलब्ध	नहीं	उपलब्ध	उपलब्ध	नहीं	ग्रामीण क्षेत्र	सुगम	कार्य क्षेत्र विकासखण्ड अन्तर्गत आच्छादित ग्रामी में
15		रा०अ०म० गैरसैण	० किमी०	1650मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	नगर क्षेत्र	सुगम	
16		रा०अ०म० महलचौरी	० किमी०	1750मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	ग्रामीण क्षेत्र	दुर्गम	

17	कर्णप्रयाग	बेस गोदाम सिमली	0 किमी०	1451मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	नगर क्षेत्र	सुगम	
18	घौडी	बेस गोदाम श्रीनगर	0 किमी०	560मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	नगर क्षेत्र	सुगम	
19	दशोली	मुख्यालय गोपेश्वर	0 किमी०	1550मी०	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	नगर क्षेत्र	सुगम	


14.4.18
जिला प्रसि अधिकारी,
दमोली।


मुख्य उद्यान अधिकारी,
दमोली।


परियोजना निदेशक,
दमोली।